228

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1126-दो/14 विरूध्द आदेश दिनांक 11/3/2014 पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण क्रमांक 178/अपील/11-12.

श्रीमती भारती पुत्री स्व0 श्री श्याम सुन्दर श्रीवास्तव
पत्नी चन्द्रशेखर श्रीवास्तव निवासी रामनगर कॉलोनी
दतिया जिला दतिया म0 प्र0

- आवेदक

- विरूध्द -

1 श्रीमती मिथलेश श्रीवास्तव पत्नी स्व0 श्यामसुन्दर श्रीवास्तव
2 कु0 हिमाशु श्रीवास्तव पुत्री स्व0 श्री श्याम सुन्दर श्रीवास्तव
3 कु0 हिमानी श्रीवास्तव पुत्री स्व0 श्री श्याम सुन्दर श्रीवास्तव
निवासीगण होलीपुरा दतिया जिला दतिया म0 प्र0

- अनावेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

आ दे श

(आज दिनांक 31-03/2016 को पारित)

यह निगरानी प्र क्र 1126-दो/14 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्र क्र 178/अपील/11-12 में पारित आदेश दि 11-3-2014 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

आवेदक एवं अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पिता/ पति का नाम स्व. श्यामसुन्दर है. उनके मध्य उनकी पैतृक भूमियों का विभाजन तहसीलदार, दतिया के प्र क्र ७१/अ-२७/१०-११ के आदेश दि २९-२-११ से हुआ था. बाद में आपसी विवाद के कारण अनावेदकों ने अनु अधि के समक्ष अपील की, जिसके प्रचलन के दौरान उनके द्वारा दि ४-३-१४ को स्व. श्यामसुन्दर के एक नाबालिग पुत्र कृष्ण बहादुर का नाम जोड़े जाने के लिए आदेश २२ नि ३ व्य प्र सं के तहत एक आवेदन दिया गया. आवेदक ने इस आवेदन का उत्तर दि ७-३-१४ को देकर उसका विरोध किया, किन्तु अनु अधि ने आक्षेपित आदेश से कृष्ण बहादुर को पक्षकार बनाने का निर्णय पारित कर दिया. इसके विरुद्ध रा मं में यह निगरानी हुई.

३] इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के अभिलेख बुलाए जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया और अनेक पेशियों पर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया, जिस बाबत अनेक अवसरों के बाद अनावेदक अधिवक्ता ने प्रकरण राजीनामे के आधार पर सम्पत किये जाने का निवेदन किया किन्तु आवेदक अधिवक्ता ने उक्त राजीनामे के सम्बन्ध में कोई सुचना अपने पक्षकार से नही मिली होने का बिंदु

उठाते हुए प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर करने का निवेदन किया. अतः, इस प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है.

४] निगरानी मेमो में आवेदिका द्वारा मुख्य आधार यह लिये गए हैं कि (१) श्यामसुन्दर की मृत्यु १४-१०-१३ को हो गई थी, किन्तु उक्त आ २२ नि ३ का आवेदन दि ४-३-१४ को १४० दिन बाद दिया गया है जबकि वह ९० दिन के भीतर दिया जाना चाहिए था, और (२) कृष्ण बहादुर के श्यामसुन्दर के पुत्र होने की बात से वह सहमत नहीं हैं और इस बिंदु पर सिविल वाद प्रचलित है जिसमे उसकी डीएनए जाँच और मृतक की वसीयत की जाँच से सम्बन्धित कार्यवाही प्रचलित है, ऐसे में सिविल वाद के निर्णय का इंतज़ार किये बगैर कृष्ण बहादुर को पक्षकार बनाया जाना उपयुक्त नहीं है.

दूसरी ओर अनु अधि के आक्षेपित आदेश में यह स्पष्तः लिखा है कि उन्होंने कृष्णबहादुर को पक्षकार के रूप में जोड़ने का निर्णय उसके जन्म प्रमाणपत्र और मूल वसीयतनामे का अवलोकन करने पर उक्त आ २२ नि ३ के आवेदन को सही पाते हुए लिया है.

उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मेरा यह मत है कि अनु अधि ने उनका उक्त निर्णय आवश्यक परिक्षण के बाद विचारोपरांत ही न्यायहित में लिया है ताकि वैधानिक अधिकार रखने या रखने के सम्भावना वाले किसी व्यक्ति के वैसे अधिकार प्रतिकूल रूप से अनुचित तरीके से प्रभावित होने की कोई गुंजाईश नहीं रहे. मैं उनके इस आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता हूँ. वैसे भी अभी आवेदिका सहित सभी पक्षकारों को अनु अधि के समक्ष अपना अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है. यदि आवेदिका, कृष्ण बहादुर के हितबद्ध पक्षकार नहीं

होने के आधार पर उसे वाद सम्पत्ती में कोई हित या लाभ नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में कोई भी बात रखना चाहती हैं तो ऐसा वह अनु अधि के समक्ष कर सकती हैं, जिसपर अनु अधि समस्त पक्षकारों वगैरह को सुनकर न्यायोचित निर्णय ले सकेंगे. अनु अधि ऐसा नहीं करेंगे ऐसा सोचने का इस स्तर पर कोई कारण नहीं है.

अतः, उपरोक्त बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में मैं यह निगरानी रा मं से ख़ारिज करता हूँ.

आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर